न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 58/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री भरत सोलकी पुत्र कानाराम, जाति– घांची, निवासी–सोजत तहसील– सोजत जिला– पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत, जिला–पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : – 13/06/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया, तहसील– सोजत, जिला–पाली, राजस्थान मे वर्तमान खसरा संख्या 232/2 रकबा 0.0633 हैक्टर एवं खसरा संख्या 239/2 रकबा 1.4593 हैक्टर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.5226 हैक्टर की भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि मे प्रार्थी का सम्पूर्ण हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमी मे प्रार्थी को विरासत मे प्राप्त भूमि है। जिस पर प्रार्थी का माफिक हक हिस्सा अनुसार प्रार्थी उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है। आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि मे सैटलमेन्ट पश्चात् प्रार्थी के पिता कानाराम जी का स्वर्गवास होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियो के द्वारा प्रार्थी के तमाम दस्तावेज का अवलोन किये बगैर राजस्व रेकर्ड मे सद्भाविक भूलवंश प्रार्थी का दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नही कर बचपन व घर मे लाड प्यार का नाम भैरूलाल दर्ज कर दिया गया तथा वक्त इन्द्राज प्रार्थी निरक्षर, अनपढ व कानून जानकारी नही होने से उक्त संबंध मे पूर्व मे कार्यवाही नही करवा सका। राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रेकर्ड मे वक्त इन्द्राज भरत सोलंकी के स्थान पर भैरूलाल दर्ज करने की त्रुटि की है। बल्कि प्रार्थी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम भरत सोलंकी ही है। प्रार्थी को गांव परिवार समाज मे भैरूलाल के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता है। प्रार्थी के स्वयं के पेन कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, विद्युत बिल, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात मे भी प्रार्थी का नाम भरत सोलंकी ही दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम भरत सोलंकी ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि मे भैरूलाल, भरत सोलंकी दोनो प्रार्थी ही है। स्व. कानाराम जी के परिवार मे भरत सोलंकी एवं भैरूलाल नाम का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है, इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम भरत सोलंकी के स्थान पर भैरूलाल दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नही थी, प्रार्थी अनपढ़ निरक्षर होने

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

तथा राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही होने से उक्त त्रुटि की जानकारी नही हुई। अभी वर्तमान मे प्रार्थी को उपरोक्त कृषि भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने से सम्बंधित पटवारी हल्का से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम भरत सोलंकी दर्ज न होकर भैरूलाल दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे सम्बंधित कर्मचारी के द्वारा सैटलमैन्ट पश्चात प्रार्थी के [illegible] के उत्तराधिकार होने पर प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम भरत सोलंकी दर्ज नही कर भैरूलाल गैर ओर मिस्टेक सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी भैरूलाल का नाम दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड मे किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पडेगा। प्रार्थी का नाम भरत सोलंकी के स्थान पर भैरूलाल दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग मे प्राप्त योजनाओ से वंचित होना पड रहा है व अन्य लाभो से भी वंचित होना पड रहा है। इसलिए उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण अराजीयात मे प्रार्थी का नाम भैरूलाल के स्थान पर भरत सोलंकी दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती के सम्बंध मे प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार सोजत के कार्यालय मे भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरस्ती श्रीमान के न्यायालय क्षेत्राधिकार का होने से दुरस्त नही किया गया। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया मे स्थित है। जो श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से श्रीमान के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया के खसरा संख्या 232/2 रकबा 0.0633 हैक्टर एवं खसरा संख्या 239/2 रकबा 1.4593 हैक्टर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.5226 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम भैरूलाल एवं भरत सोलंकी के नाम शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किया जाने आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के तामील जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित, कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़ियां में स्थित है। पैरा संख्या 02 के कम में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रार्थी के स्वयं के पेन कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, विद्युत बिल, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात मे भी प्रार्थी का नाम भरत सोलंकी ही दर्ज है। राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम भैरूलाल एवं भरत सोलंकी के नाम शुद्धि किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि उसने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मोजा ग्राम बासनी तिलवाड़ियां के वर्तमान खसरा संख्या 232/2 रकबा 0.0633 हैक्टर एवं खसरा संख्या 239/2 रकबा 1.4593 हैक्टर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.5226 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम भैरूलाल एवं भरत सोलंकी दर्ज कर शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी के परिवार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया गया। साथ ही प्रार्थी की विधालय की टीसी में भी भरतसोलंकी नाम अंकित है। जिससे

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भरत सोलंकी होने की पुष्टि होती है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडिया के वर्तमान खसरा संख्या 232/2 रकबा 0.0633 हैक्टर एवं खसरा संख्या 239/2 रकबा 1.4593 हैक्टर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.5226 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम भैरूलाल के स्थान पर भरत सोलंकी के नाम रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडिया के वर्तमान खसरा संख्या 232/2 रकबा 0.0633 हैक्टर एवं खसरा संख्या 239/2 रकबा 1.4593 हैक्टर, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.5226 हैक्टर की कृषि भूमि मे दर्ज नाम भैरूलाल के स्थान पर भरत सोलंकी इन्द्राज करने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाबता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 13/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली